

(08) 21-07-2023

पत्रावली में आज कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर, चम्पावत से अपीलार्थी राजकुमार के जमानतीगण की हैसियत तस्दीक आख्या प्राप्त। अवलोकित। शामिल मिसल हो। आख्यानुसार जमानती सुशीला पत्नी श्री कृष्ण लाल की हैसियत रु0 36,000/- है जो पर्याप्त है। किन्तु दूसरे जमानती मुकेश सक्सेना पुत्र श्री डोरी लाल की हैसियत न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि से कम है। अतः अपीलार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली पूर्व से नियत तिथि को पेश हो।

(कहकशा खान)
सत्र न्यायाधीश,
चम्पावत।